SHODH SAGAR®
Universal Research Reports
ISSN: 2348-5612 | Vol. 11 | Issue 2 | Apr-Jun 2024 | Peer Reviewed & Refereed

भारत में स्वदेशी शासन में महिलाओं का योगदान

शोधार्थी – रीतु, "ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, झुन्झुनु"
डॉ. दीपक

संक्षेपिका : इस शोध पत्र का सम्बन्ध भारत में स्वदेशी शासन में महिलाओं का योगदान से है। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को राजनीति में जो आरक्षण प्रदान किया गया है उस पर इस शोध पत्र के माध्यम से विचार करने का प्रयास किया गया है क्योंकि जब तक महिलाओं की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक हम सामाजिक समानता के आधार पर विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकते।

मुख्य बिन्दु : महिलाओं की राजनीति में भूमिका, महिलाओं का आरक्षण, समानता का आधार, सुशासन में महिलाओं की भूमिका।

परिचय : प्राधिकरण आवंटित करने, आम जनता के लिए संसाधनों का प्रबंधन करने और सामाजिक मुद्दों को संभालने के लिए समाज द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संस्था, संगठन और तकनीक सभी शासन की धारणा में शामिल हैं। इस प्रकार, जनता की मांगों के जवाब में सार्वजनिक संसाधनों और समस्याओं का प्रभावी, कुशल और उत्तरदायी प्रशासन ही सुशासन का विषय बनता है। इसलिए, पारदर्शिता, लैंगिक समानता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी लोकतांत्रिक अच्छी सरकार के महत्वपूर्ण तत्व हैं। स्थानीय सरकार संस्थानों, नीतियों और प्रथाओं के एक समूह को संदर्भित करती है जो नागरिकों को उनकी जरूरतों और हितों के बारे में आवाज उठाने में सक्षम बनाती है। प्रभावी शासन के कई तत्वों में से कुछ में नागरिक भागीदारी, प्रमुख स्थानीय हितधारकों के बीच सहयोग, निर्वाचित अधिकारियों का कौशल, संस्थागत जवाबदेही और उचित अभिविन्यास शामिल हैं। (शर्मा, 2015)।

महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व, नियंत्रण और पहुंच, निर्णय लेने में भागीदारी, और अधिकार और शक्ति का उपयोग स्थानीय सरकार में लैंगिक मुख्यधारा के सभी पहलू हैं। नगरपालिका संस्थानों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व एक गंभीर समस्या है जिससे निपटना होगा। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में स्थानीय प्रशासन में काम करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली संभावनाओं और कठिनाइयों की यथार्थवादी समझ प्रदान करना है, यह वह देश है जहां दुनिया भर में स्थानीय सरकार और विकास में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है।

शासन की नए सिरे से आलोचनात्मक जांच की जरूरत है, खासकर महिलाओं के नजरिए से। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में समाज की मांगों के प्रति जागरूक होने की संभावना अधिक होती है, बेईमान होने की संभावना कम होती है, और आत्मविश्वास और भरोसे को बढ़ावा देने में अधिक कुशल होती हैं। यह महिला नेताओं के लिए विशेष रूप से सच है।

सुशासन : इसके अलावा, कुशल प्रशासन आधुनिक समाज के साथ–साथ कल की मांगों के अनुरूप ढल जाता है। विशेष रूप से सुशासन की अवधारणाओं को राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और विकास प्रबंधन के क्षेत्रों में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। नागरिक समाज, लोकतंत्र, भागीदारी, मानवाधिकार और सतत विकास जैसे शब्द इस बात के उदाहरण हैं कि इसे कैसे मूर्त रूप दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों से यह सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार से निकटता से जुड़ा हुआ है। आठ प्रमुख

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com

ISSN: 2348-5612 | Vol. 11 | Issue 2 | Apr-Jun 2024 | Peer Reviewed & Refereed

तत्व हैं जो प्रभावी शासन बनाते हैं। यह कानून के शासन का सम्मान करते हुए एक समझौते पर पहुंचने पर केंद्रित है और समावेशी, लोकतांत्रिक, जिम्मेदार, उत्तरदायी और पारदर्शी है। क्योंकि अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है और समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाज को पूरी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक भ्रष्टाचार कम हो। (मुंशी, एट ऑल, 2019)

प्रभावी सरकार पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी पर आधारित है। सीधे या अधिकृत मध्यस्थों या एजेंटों के माध्यम से भाग लेना भी संभव है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में, निर्णय हमेशा समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं किए जाते हैं। भागीदारी की योजना बनानी होगी और शिक्षित करना होगा। नागरिक समाज जो संगठित हो और भाषण के साथ–साथ सभा की स्वतंत्रता की अनुमति देता हो, इसके लिए भी आवश्यक है। (वही)

निर्णय लेने और लागू करने में पारदर्शिता से तात्पर्य कानून और विनियमों के पालन से है। इसका तात्पर्य यह भी है कि जो कोई भी इन विकल्पों और उनके कार्यान्वयन से लाभान्वित होना चाहता है, उसे तेजी से और आसानी से जानकारी मिल सकती है। इसका तात्पर्य यह भी है कि पर्याप्त जानकारी उन प्रारूपों और माध्यमों में प्रदान की जाती है जिन्हें समझना आसान है।

प्रभावशीलता और दक्षता : संगठन और प्रक्रियाएं जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उपलब्ध संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग सुनिश्चित करती हैं, उन्हें सुशासन के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। सुशासन के परिप्रेक्ष्य में, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में स्थिरता के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण दोनों को दक्षता के पहलुओं के रूप में देखा जाता है?

जवाबदेही : संस्थानों और प्रक्रियाओं को सुशासन का अभ्यास करने के लिए सभी हितधारकों को तेजी से सेवा देने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छी सरकार का एक आवश्यक घटक जवाबदेही है। सरकारी संगठनों को आम जनता, संस्थागत हितधारकों, वाणिज्यिक क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को जवाब देना होगा। इस पर निर्भर करते हुए कि क्या कार्य या विकल्प किसी समूह या संगठन द्वारा आंतरिक या बाहर किए जाते हैं, विभिन्न पक्षों की जवाबदेही की अलग–अलग डिग्री होती है। सामान्य तौर पर, किसी संगठन को उन व्यक्तियों को जवाब देना होगा जिन पर उसकी पसंद और कार्यों का प्रभाव पड़ेगा। जवाबदेही लागू करने के लिए कानून का शासन और खुलापन दोनों आवश्यक हैं।

सर्वसम्मति–उन्मुख : किसी भी संस्कृति में, कई भागीदार और दृष्टिकोण होते हैं। सफल शासन के लिए समाज के भीतर कई हितों पर बातचीत की आवश्यकता होती है ताकि इस पर व्यापक सहमति बनाई जा सके कि इसमें सभी के लाभ के लिए सबसे अधिक फायदेमंद क्या है और यह कैसे किया जा सकता है। इसके लिए दीर्घकालिक, संपूर्ण समझ की भी आवश्यकता है कि निरंतर मानव विकास क्या है और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। किसी निश्चित संस्कृति या समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है।

समानता और समावेशिता : समाज के समग्र रूप से कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अपनेपन की भावना होनी चाहिए, फिर भी उसे बहुमत से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com

ISSN: 2348-5612 | Vol. 11 | Issue 2 | Apr-Jun 2024 | Peer Reviewed & Refereed

सभी समूहों, विशेष रूप से सबसे कमजोर समूहों को अपनी भलाई को संरक्षित करने या बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए।

कानून : एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली जिसे निष्पक्ष रूप से लागू किया गया है, सफल शासन के लिए आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि सभी मानवाधिकारों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाए। कानून के निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए न्यायिक प्रणाली के अलावा एक स्वतंत्र, निष्पक्ष पुलिस बल की भी आवश्यकता होती है।

विकेंद्रीकरण : विकेंद्रीकरण महिलाओं को योजना और परामर्श चरणों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, और इसके परिणामस्वरूप लिंग के अनुसार क्षेत्रीय संसाधनों का अधिक न्यायसंगत वितरण भी हो सकता है। स्थानीय सरकारें निर्णय लेने में महिलाओं के साथ बातचीत करने और उन्हें शामिल करने की एक अनोखी स्थिति में हैं क्योंकि वे अपने नागरिकों के सबसे करीब हैं। हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शक्ति और संसाधनों के विकेंद्रीकरण का भी उपयोग किया जा सकता है। जिन लोगों को जटिल दस्तावेजों को समझने में कठिनाई होती है, सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेने में असहजता महसूस होती है, या वे कामकाजी माता–पिता हैं जिनके पास सीमित समय है, उनके लिए सुलभ संचार आवश्यक है। ये मुद्दे महिलाओं को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं। (भारत का राजपत्र, 1992)।

लोकतांत्रिक लोकतंत्र में लोगों के मामले सत्ता के विकेन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण में उनकी सक्रिय भागीदारी से चलते हैं। चूँकि सार्वजनिक भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था के शीर्ष और निचले दोनों स्तरों पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना को दर्शाती है, यह जमीनी स्तर तक लोकतंत्र के प्रसार को इंगित करती है। नतीजतन, पंचायती राज, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य, लाखों लोगों को उनकी सबसे निचले स्तर की निर्वाचित सरकार के संचालन में भाग लेने में सक्षम बनाकर वास्तव में लोकतंत्र को साकार करना है। किसी भी तरह से पंचायती राज विचारधारा कोई नया विचार नहीं हैय बल्कि, यह ग्रामीण भारत की आदतों और परंपराओं में अंतर्निहित है। विचार यह है कि लोगों को स्थानीय योजना, लाभार्थी की पहचान, निर्णय लेने और लोगों द्वारा घोषित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में शामिल किया जाए। आजकल, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण समुदायों का विकास है। भारत की आजादी के बाद से, स्थानीय प्रशासन के पंचायती राज स्वरूप की राजनीतिक व्यवस्था में उतार–चढ़ाव आते रहे हैं। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, वी.पी. नाइक, पी.बी. पाटिल, जी.वी.आर. राव, और एल.एन. सिंघवी ने कई समितियों का नेतृत्व किया जिन्होंने इन संस्थानों को पुनर्गठित किया, जिससे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए आवश्यक गति प्रदान की गई। (वही)।

रहस्यमय और एकांतप्रिय पंचायती राज की प्रकृति, संरचना और कार्यप्रणाली को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया, जो 24 अप्रैल, 1993 को प्रभावी हुआ। भारत पीआरआई, या स्थानीय स्व– के विकास में एक चौराहे पर है। 73वें संशोधन के अनुसमर्थन के बाद, गरीब क्षेत्रों में सरकार। लक्ष्य आम जनता को योजना बनाने, निर्णय लेने, सिस्टम वितरण और कार्यान्वयन चरणों में शामिल करना है।

भारत में स्वदेशी शासन में महिलाओं का योगदान : 1992 के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन महिलाओं की समान पहुंच के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन में विस्तारित भागीदारी की गारंटी देने की

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। संविधान (73वें और 74वें संशोधन) अधिनियम, 1992 का उद्देश्य स्थानीय सरकारों के अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण, ताकि वे प्रभावी, लोकतांत्रिक और स्वशासी स्थानीय संस्थानों के रूप में आगे बढ़ सकें। उपर्युक्त संशोधन द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारी संदर्भों में तैंतीस प्रतिशत निर्वाचित सीटें महिलाओं के लिए नामित की गई हैं। इसके अलावा, इन स्थानीय निकायों में महिला अध्यक्षों के लिए एक तिहाई आरक्षण है। भारत में राज्य और राष्ट्रीय सरकार के विपरीत, स्थानीय शासन में महिलाओं से अत्यधिक सक्रिय भूमिका की अपेक्षा की जाती है। इन विनियमों ने भारत में महिलाओं को अवसरों और चुनौतियों दोनों के संदर्भ में, विशेष रूप से नगरपालिका सरकारी क्षेत्र में, काफी मदद की है। इसने स्थानीय और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की नींव को काफी व्यापक बना दिया है, जो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। (नगरलोक, एट. ऑल, 1996)

अब, नगरपालिका सरकार में महिलाओं की भागीदारी के बारे में कुछ सामान्यीकरण किये जा सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर राजनीति में शामिल महिलाओं के प्रतिशत में औपचारिक वृद्धि होती दिख रही है। यह भी दिखाया गया है कि महिलाओं ने घर पर अपने दायित्वों को जारी रखने के लिए राजनीतिक नौकरियों को चुना। यद्यपि वे महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लेती हैं, निर्णय लेने की स्थिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। जीवनसाथी के साथ–साथ करीबी रिश्तेदारों का भी निर्विवाद प्रभाव पड़ता है। यह स्वयं पर अपर्याप्त आत्मविश्वास का परिणाम है। इस निर्भरता से उनका सशक्तिकरण बाधित होता है। जमीनी स्तर के आंदोलन से महिला साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ा है। अध्ययनों के अनुसार, कई महिलाओं ने पीआरआई के रूप में दो साल की सेवा के बाद अपनी बेटियों को आवश्यक पढ़ने के कौशल प्रदान करने के लिए मजबूर महसूस किया। (वही)

स्थानीय प्रशासन का इतिहास : स्थानीय स्वायत्तता की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में, अंग्रेजों ने ग्राम पंचायत को सरकार के रूप में पेश किया। लोगों की अब सरकार के निचले स्तर तक पहुंच है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों को भी कानून पारित करने की अनुमति है। निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 शामिल है, जो कहता है कि ''राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उनके स्व–शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं,'' क्योंकि निर्माता संविधान में मौजूद प्रावधानों से नाखुश थे। ऐसा तब किया गया जब भारत में छोटे पैमाने की स्थानीय सरकार पहले से ही स्पष्ट थी। (स्टीफन, 2020)

भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली की संकल्पना बाद में 1957 से 1986 के बीच चार महत्वपूर्ण समितियों की स्थापना और कार्य के परिणामस्वरूप हुई। समिति के महत्वपूर्ण सुझावों और उनकी सिफारिशों का परीक्षण करना लाभकारी होगा।

स्थानीय सरकार में लिंग : संसद में लैंगिक आरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कार्य प्रगति पर है। लोकसभा ने अभी तक महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दी है, यह प्रस्ताव संसद के निचले सदन में 33 प्रतिशत रिक्त सीटों को सुरक्षित करने का है। यह विधेयक 20 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है, जबकि राज्यसभा ने मार्च 2010 में इसे मंजूरी दे दी, लोकसभा किसी राजनीतिक समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रही। वर्तमान में, लोकसभा के सांसदों में महिलाएँ केवल 14% हैं। बहरहाल, संविधान के 74वें संशोधन ने 1992 की शुरुआत में ही उपराष्ट्रीय स्तर पर लिंग

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com

ISSN: 2348-5612 | Vol. 11 | Issue 2 | Apr-Jun 2024 | Peer Reviewed & Refereed

आरक्षण की स्थापना की। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में, यह अनिवार्य था कि प्रत्यक्ष चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% सीटें अलग रखी जाएं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को यूएलबी में कम से कम तैंतीस प्रतिशत सीटें दी जानी चाहिए जो उनके लिए हैं। इसके अलावा, यूएलबी के कम से कम 33% अध्यक्ष पद भी महिलाओं के पास हैं। यथासंभव अधिकतम सीमा तक, आरक्षण का प्रभाव शहर के भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाता है, आरक्षित सीटें विभिन्न क्षेत्रीय जिलों को चक्राकार आधार पर सौंपी जाती हैं। कई सरकारें यूएलबी सीटों में 50% महिलाओं को आवंटित करके, संविधान द्वारा निर्धारित लिंग आरक्षण के न्यूनतम स्तर से ऊपर चली गई हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश भी शामिल है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र के साथ–साथ त्रिपुरा भी शामिल है। इस बात पर विचार करते हुए कि कुछ महिलाएं उन सीटों पर चुनी गई हैं जो उनके लिए निर्धारित नहीं हैं, यह स्पष्ट है कि इन राज्यों में स्थानीय सरकार में सेवा करने वाली महिलाओं की संख्या अनुपातहीन रूप से अधिक है। (सिंह, एस.एन., 1991)

कई सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित लिंग आरक्षण के न्यूनतम स्तर से ऊपर चली गई हैं, महिलाओं को यूएलबी की 50: सीटें आवंटित की हैं।

यूएलबी में लिंग आरक्षण के लाभ : स्वाभाविक रूप से, प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक को अभी भी संसद में पारित होना बाकी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लिंग आरक्षण के परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। और इसके फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा छिड़ जाती है। सकारात्मकता से शुरू करें तो, यह स्पष्ट है कि हर पांच साल में, नगरपालिका लिंग आरक्षण ने हजारों महिलाओं को रसोई और घर से बाहर निकाला है और उन्हें स्थानीय राजनीतिक क्षेत्र में धकेल दिया है। यदि संविधान में शामिल निर्देश नहीं होते तो वे चुनावी लोकतंत्र में शामिल नहीं होते। इस प्रकार, यह निस्संदेह महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला कदम है। जयपुर नगर निगम की महिला परिषद सदस्यों की संरचना पर एक नजर डालने से पता चलता है कि बड़ी संख्या में स्वतंत्र महिलाएं उनके राजनीतिक क्षेत्र में शामिल हुई हैं, योग्यता दिखाई है, और अपने पुरुष समकक्षों के बराबर बनकर उभरी हैं। उन्होंने लैंगिक रूढ़िवादिता में कुछ सकारात्मक बदलावों को संभव बनाया है जो नगरपालिका नौकरशाही और समाज दोनों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं। नगरपालिका प्रशासन और स्थानीय समूहों का अंततः संवेदनशील होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। (वही)

यूएलबी लिंग आरक्षण की कमियाँ : अफसोस की बात है कि नगरपालिका स्तर पर लिंग प्रतिबंध महिलाओं के लिए राज्य और संघीय राजनीति में प्रवेश के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में काम नहीं कर पाए हैं, और इन कार्यालयों में चुनी गई महिलाओं के अनुपात में शायद ही वृद्धि हुई है। संसद और विधानसभाओं में 15% से भी कम सांसद महिलाएँ हैं। महिलाओं को अभी भी महत्वपूर्ण शासन पदों से बाहर रखा गया है और 20 से अधिक वर्षों से आरक्षण लागू होने के बाद भी पार्टी संरचनाओं में लैंगिक असमानता बनी हुई है। ऐतिहासिक लैंगिक असमानताएं इतनी गहरी हो गई हैं कि लैंगिक आरक्षण प्रणाली लागू होने पर भी इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। लिंग आरक्षण के कारण यूएलबी में बड़े पैमाने पर टोकनवाद हो गया है, क्योंकि परिषद के सदस्यों की पत्नियों ने अपने जीवनसाथियों की जगह ले ली है, जिन्हें नीति के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया है।

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com

ISSN: 2348-5612 | Vol. 11 | Issue 2 | Apr-Jun 2024 | Peer Reviewed & Refereed

चूँकि निर्वाचित पत्नियाँ अपने पतियों की प्रॉक्सी के रूप में काम करती हैं, फिर भी पतियों का वार्ड पर प्रभाव होता है। (वही)

जब महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात आती है, तो राजनीतिक दल महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से उम्मीदवारों को नामांकित किया जाता है यह पार्टियों पर निर्भर करता है, और चयन प्रक्रिया उनके निर्णय पर आधारित होती है कि किन उम्मीदवारों के जीतने की सबसे अच्छी संभावना है। परिणामस्वरूप, वे महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। दुर्भाग्य से, महिलाओं को अभी भी राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों से बाहर रखा गया है क्योंकि पार्टियों द्वारा अपने पदानुक्रम के भीतर इन असमानताओं को बनाए रखा जाता है। (वही)

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संकेतक : 2015 में नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की कि उनके मंत्रिमंडल के 30 सदस्यों में से 15 महिलाएं होंगी, कनाडा में मंत्री पद रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत दुनिया भर में 20वें से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया। राजनीति में महिलाओं को शामिल करने के उपाय के रूप में विधायिकाओं में अधिक महिलाओं का होना दुनिया भर में एक प्रमुख चिंता का विषय है। संसद के ऊपरी और निचले सदनों में सेवारत महिलाओं की औसत संख्या अंतर संसदीय संघ द्वारा प्रकाशित की गई है। दुनिया भर में 24.5% है, एशिया में, यह संख्या कम, 19.7% है। (बर्थवाल, 2018)

महिलाएं स्थानीय प्रशासन का नेतृत्व कर रही हैं : नगरपालिका सरकार या पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक क्षेत्र है जो कम प्रमुख है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन के तहत सरकारों को ग्रामीण ग्राम परिषदों या ग्राम पंचायतों को अनुदान देने, क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुओं पर खर्च पर नियंत्रण करने और सभी परिषद सीटों और परिषद अध्यक्षों में से एक तिहाई को पूरी तरह से महिलाओं के लिए अलग रखने की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, ग्रामीण भारत में महिलाएँ राजनीति और सरकार में प्रतिनिधित्व में अधिक शामिल हो गईंय उनमें से दस लाख से अधिक लोगों ने शासन के पद संभाले, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी विकास था। लेकिन 28 वर्षों के बाद भी, जब महिलाएं अब अधिकांश राज्यों में पंचायतों में 50% सीटों पर नियंत्रण रखती हैं, इन महिलाओं के शीर्षक भूमिकाओं में बने रहने की प्रचलित कथा अभी भी मौजूद है, जबकि उनके पति नेतृत्व करते हैं। (वही)

लिंग कोटा से परिणाम मिलते हैं : यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संस्थागत बाधाओं को अक्सर लिंग कोटा द्वारा संबोधित किया जाता है। इस प्रकार, यह गारंटी देना आवश्यक है कि वे अंततः राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। (केरेवेल, 2019)

पुख्ता सबूत दर्शाते हैं कि पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) स्तरों पर महिलाओं के आरक्षण से स्थानीय सरकार के नीतिगत निर्णयों पर उनका प्रभाव काफी बढ़ जाता है और मुखिया/प्रधान (ग्राम परिषद के प्रमुख) में लैंगिक अंतर आरक्षित और दोनों द्वारा किए गए निवेश निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। अनारक्षित ग्राम परिषदे,. गौरतलब है कि ये महिलाएं पीने के पानी जैसी सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश करती हैं जो महिलाओं के नीतिगत हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह पता चला है कि ग्राम परिषद व्यय, जिसमें महिलाओं की आरक्षित सीटें शामिल हैं, स्थानीय लोगों द्वारा व्यक्त किए गए अनुरोधों के अनुरूप हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तंत्र यह है कि महिला नेताओं के विकास उद्देश्य और प्राथमिकताएँ उनके समुदायों के साथ संरेखित हों। अतिरिक्त शोध यह दर्शाते हुए सकारात्मक

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com

कार्रवाई नीतियों के महत्व पर प्रकाश डालता है कि सार्वजनिक वस्तुएं (जैसे पीने का पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और उचित मूल्य निर्धारण की दुकानें) अधिक आसानी से उपलब्ध हैं और साथ ही कम से कम महिला नेताओं के लिए नामित समुदायों में उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली हैं। गैर आरक्षित गांवों में हैं। (वही)

महिलाओं को अवसर देना : भारत जैसे कम संसाधन वाले ग्रामीण संदर्भों में, महिलाओं के लिए राजनीतिक कोटा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए व्यापक क्षमता विकास के लिए एक आकर्षक तर्क है। इसके अलावा, जबकि महिला नेतृत्व को कानून द्वारा समर्थित किया जाता है, ऐसे नेतृत्व को विकसित करने में निवेश करना अनिवार्य है। सदियों से चली आ रही असमान सत्ता को बदलने में समय लगता है।

महिलाओं की मुक्ति से परे : बहरहाल, लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को केवल यूएलबी में लैंगिक आरक्षण द्वारा संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। शहरी महिलाओं की विशिष्ट चिंताओं पर अधिक ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। हालाँकि महिलाएँ शहर की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और उनकी विशिष्ट जरूरतें हैं, लेकिन यह देखा गया है कि महिला परिषद सदस्यों द्वारा उनके मुद्दों पर जोर देने का कोई संकेत नहीं है।

महिला–नेतृत्व वाले घर–जिनमें महिलाएँ ही एकमात्र कमाने वाली हैं–को विशेष रूप से सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है। क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से कौशल विकास और सुधार को सक्षम करने वाली सुविधाएं महिलाओं के लिए आवश्यक हैं। (वही)

भारतीय शहरों में कार्यबल में महिलाओं का अनुपात काफी कम है। उनकी अल्प 10.3 प्रतिशत सहभागिता दर हाल के सर्वेक्षण पर आधारित है। जैसा कि चीजें हैं, यह अन्यायपूर्ण है, और अधिक महिलाओं को काम खोजने में मदद करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि परिस्थितियाँ माँग करती हैं, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने और काम करने में भी सक्षम होना होगा। जो महिलाएं कार्यालयों में या कम वेतन वाली नौकरियों में काम करती हैं, उन्हें अपने रोजगार के स्थानों तक आने–जाने के लिए आवास और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच की आवश्यकता होती है। अपने बच्चों पर नजर रखने वाले सहायता नेटवर्क उन महिलाओं के लिए आवश्यक हैं जिनके छोटे बच्चे हैं ताकि वे काम पर जा सकें। असंगठित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का निर्माण करने वाले या श्रम करने वालों के लिए बाजार तक पहुंच आवश्यक है। महिला–नेतृत्व वाले घर–जिनमें महिलाएँ ही एकमात्र कमाने वाली हैं–को विशेष रूप से सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है। क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से कौशल विकास और सुधार को सक्षम करने वाली सुविधाएं महिलाओं के लिए आवश्यक हैं। जो महिलाएं बुजुर्ग और परित्यक्त हैं उन्हें देखभाल और सहायता की आवश्यकता है। जिन महिलाओं को आघात और अन्य प्रकार के घरेलू दुर्व्यवहार के कारण उपचार की आवश्यकता होती है वे भी इस श्रेणी में आती हैं। (वही)

निष्कर्ष : इस शोधपत्र के माध्यम से सुशासन में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाने का प्रयास किया गया है। निष्पक्षता और लैंगिक समानता ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक विकास के बारे में बातचीत में अधिक से अधिक उभर रहे हैं। विकास समर्थकों और सामाजिक वैज्ञानिकों के शोध एजेंडे इन क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को पहचानने लगे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार, ष्लोकतंत्र केवल विकास का लक्ष्य नहीं है, यह प्रगति का मुख्य साधन है।ष लोकतंत्र की प्रगति और बहिष्कार,

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com

उत्पीड़न और तुच्छीकरण के खिलाफ महिलाओं की लड़ाई राजनीति में उनकी भागीदारी पर निर्भर करती है। एक शक्तिशाली समूह के रूप में महिलाओं के उभरने से विधायी चर्चाओं के चरित्र और विषय–वस्तु में बदलाव आएगा और नारीवादी कानून के निर्माण और अनुप्रयोग में महिलाओं की चिंताओं को लक्षित कर सकते हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि हाल ही में अपनाए गए संविधान के कई खंड महिलाओं को समान अधिकारों की गारंटी देते हैं, भारतीय महिलाएं भेदभाव का अनुभव कर रही हैं और जीवित रहने और संसाधन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भले ही महिलाओं ने कार्यबल के साथ–साथ शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में काफी प्रगति हासिल की है, फिर भी वे पितृसत्तात्मक विचारधाराओं से प्रभावित हैं जो अभी भी भारतीय संस्कृति में व्याप्त हैं। भारतीय महिलाएं अब जिस समस्या का सामना कर रही हैं वह यह है कि संविधान के उदार प्रावधानों और अन्य कानूनों के बावजूद अभी भी महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। यह सच है कि भारतीय महिलाओं को जानबूझकर राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दिनों से, हालाँकि, महिलाओं की राजनीतिक साक्षरता और जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और राजनीतिकरण के कारण बने संक्षारक राजनीतिक माहौल के कारण उनकी राजनीतिक भागीदारी प्रभावित हुई है।

सन्दर्भ :

- Thomas R., Davies A. (2005) 'What Have the Feminists Done for Us?' Organization 12(5): 711–40.
- Thomas R., Davies A. (2005). 'Theorizing the Micro-Politics of Resistance: New Public Management and Managerial Identities in the UK Public Services', Organization Studies 26(5): 683–706.
- Deepak, D. (2023). Human Rights and right to education in India. Innovative Research Thoughts, 9(3), 5–8.
- Townsley N. C. (2003). 'Looking Back, Looking Forward. Mapping the Gendered Theories, Voices, and Politics of Organization', Organization 10(3): 617–39.
- Vinthagen S., Johansson A. (2013). 'Everyday resistance: Exploration of a concept and its theories', Resistance Studies Magazine, 1(1): 1–46.
- Deepak, Dr. (2016a). District Planing Committee: An Overview. Public Affairs and Goverence, 4(1), 49–58.
- Watkins M., Simmons A., Umphress E. (2019). 'It's Not Black and White: Toward a Contingency Perspective on the Consequences of Being a Token', Academy of Management Perspectives 33(3): 334–65.
- Deepak, Dr. (2016b). RTE Act 2009 and learning Disability in Higher Education. International Journal for Research Publication & Seminar, 7(8), 73–79.
- Deepak, Dr. (2017c). Working and organisation of DRDA : A case Study. International Journal for Research Publication & Seminar, 8(1), 161–169.
- Williams C. L. (1992). 'The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the "Female" Professions', Social Problems 39(3): 253–67.

OPEN ACCESS
© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com

ISSN: 2348-5612 | Vol. 11 | Issue 2 | Apr-Jun 2024 | Peer Reviewed & Refereed

- Ybema S., Horvers M (2017) 'Resistance through compliance: The strategic and subversive potential of frontstage and backstage resistance', Organization Studies, 38(9): 1233–1251.
- Deepak, Dr. (2019). Right to Information: Its Procedures and provision. International Journal of Social Sciences Review, 7(6–1), 2081–2084.

© 2024 Published by Shodh Sagar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons License [CC BY NC 4.0] and is available on https://urr.shodhsagar.com